रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236977
CG-DL-E-01072022-236977

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2881] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2022/आषाढ़ 10, 1944
No. 2881] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2022/ASHADHA 10, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2022

सं. 16/2015–2020

विषयः विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में संशोधन–अग्रिम प्राधिकार पत्र, ईपीसीजी और ईओयू स्कीम के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट।

का.आ. 3028(अ).—समय–समय पर यथा–संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

1. राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 37/2022 सीमाशुल्क दिनांक 30 जून, 2022 में यथा–प्रदत्त एफटीपी 2015–20 के पैरा 4.14 के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी गई है।

2. राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 37/2022 सीमाशुल्क दिनांक 30 जून, 2022 में यथा–प्रदत्त एफटीपी 2015–20 के पैरा 5.01 (क) के अनुसार ईपीसीजी स्कीम के तहत एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी गई है।

3. राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 37/2022 सीमाशुल्क दिनांक 30 जून, 2022 में यथा–प्रदत्त एफटीपी 2015–20 के पैरा 6.01(घ)(ii) के अनुसार ईओयू स्कीम के तहत एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी गई है।

इस अधिसूचना का प्रभावः एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट प्रदान करने के लिए पैरा 4.14, पैरा 5.01 (क) और 6.01(घ)(ii) को उपरोक्त रुप में संशोधित किया गया है।

[फा.सं. 01/94/180/373/एएम18/पीसी–4 से जारी]
संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एव पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2022

No. 16/2015-20

Subject: Amendments to Foreign Trade Policy 2015-2020 - Exemption of Integrated Goods and Service Tax (IGST) and Compensation Cess under Advance Authorisation, EPCG and EOU scheme.

S.O. 3028(E).— In exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) act 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time-to-time the Central Government hereby makes following amendments in Foreign Trade Policy 2015-20.

1. Integrated Tax and Compensation Cess under Advance Authorization as per Para 4.14 of FTP 2015 -20 is exempted as provided in the Notification No. 37/2022-Customs dated 30th June 2022 issued by Department of Revenue.

2. Integrated Tax and Compensation Cess under EPCG scheme as per Para 5.01 (a) of FTP 2015-20 is exempted as provided in the Notification No. 37/2022-Customs dated 30th June 2022 issued by Department of Revenue.

3. Integrated Tax and Compensation Cess under EOU scheme as per Para 6.01(d)(ii) of FTP 2015-20 is exempted as provided in the Notification No. 37/2022-Customs dated 30th June 2022 issued by Department of Revenue.

Effect of this Notification: Para 4.14, Para 5.01(a) and Para 6.01(d)(ii) of FTP 2015-20 are amended as above to provide exemption from Integrated Tax and Compensation Cess.

[F. No. 01/94/180/373/AM18/PC-4]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director Gen. of Foreign Trade

& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.01 23:21:05 +05'30'